निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिये जनपद बलिया में खोज एवं बचाव के उपकरणों यथा सर्च लाईट, लाईफ जैकेट, लाईफ ब्वाय, मेगाफोन, फोल्डेबुल स्ट्रेचर, फस्ट एड किट, सेफ्टी हेलमेट, फायर एक्सटिनग्यूसर तथा जरीकेन (वाटर कन्टेनर 5 लीटर) चयनित 120 ग्राम सभाओं (ग्राम पंचायतों में) की आपूर्ति हेतु मोहरबन्द निविदा दिनांक 31.1.2015 के अपरान्ह 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी । निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्ते एवं उपकरणों का मानक किसी भी कार्यालय दिवस में जिलाधिकारी कार्यालय, बलिया से रू0 500/- नकद जमा करके दिनांक 23.1.2015 से 31.1. 2015 के अपरान्ह 1.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है ।

जिलाधिकारी,
बलिया

कार्यालय जिलाधिकारी, बलिया

संख्या-1317 /सी0आर0ए0-आपदा दिनांक:जनवरी 21 ,2015

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 पुलिस अधीक्षक, बलिया।
2 मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया।
3 अपर जिलाधिकारी(वि/रा) बलिया/प्रभारी अधिकारी आपदा।
4 मुख्य कोषाधिकारी, बलिया।
5 समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद बलिया ।
6 उप आयुक्त (उद्योग), बलिया।
7 प्रधानाचार्य, टाउन पालिटेक्निक, बलिया।
8 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को वेवसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु।
9 जिला सूचना अधिकारी, बलिया को इस आशय से कि इसका प्रकाशन एक प्रदेश स्तर एवं एक राष्ट्रीय स्तर के दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों में तत्काल कराकर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।
8 नाजिर कलेक्ट्रेट/विकास भवन/ जिला पंचायत बलिया को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी,
बलिया।

निविदा सम्बन्धी शर्ते

1. निविदा जिलाधिकारी बलिया के नाम पर होनी चाहिए तथा दिनांक 23.01.2015 से 31.1..2015 तक अपरान्ह 1.00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए तथा उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में गठित समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी ।
2. निविदा के साथ निर्धारित अर्नेस्ट मनी (धरोहर धनराशि) रू0 40,000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो जिलाधिकारी, बलिया के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना इसके निविदा पर विचार नहीं किया जयेगा।
3. उपकरण निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
4. निविदा स्वीकार होने/स्वीकृत पत्र मिलने के तुरन्त बाद आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति धनराशि के मूल्य का 10 प्रतिशत बतौर जमानत जिलाधिकारी, बलिया के नाम बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
5. निविदादाता यदि कोई भागीदार हो तो भागीदारी के समस्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
6. व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
7. आयकर की अद्यावधिक रिटर्न पैनकार्ड तथा आयकर क्लीयरेंस (वित्तीय वर्ष 2013–14) के प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निर्धारित समय के अन्दर (आदेश प्राप्ति से 10 दिन के अन्दर) उपकरणों की आपूर्ति करना होगा अन्यथा अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा कि वे आपूर्ति आदेश निरस्त कर जमानत की धनराशि जब्त कर ले।
9. अन्य विभागों में पूर्व में आपूर्ति किये जाने वाले फर्मो को वरीयता दी जायेगी।
10. जिलाधिकारी, बलिया को अधिकार होगा कि प्राप्त निविदा की दरे निम्न होने के बावजूद भी एक अथवा समस्त निविदा बिना किसी कारण बताये निरस्त कर दे और टेण्डरदाता को बकाये की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
11. आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय नियमानुसार बिल से समस्त कर जैसे आयकर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क व ततसम्बन्धी देयों की धनराशि काट ली जायेगी।
12. निविदा में निविदादाता को अपना पूर्ण पता स्थायी तथा अस्थायी तथा रजिस्ट्रेशन नं0 एवं पैन नं0/ टैन नं0 स्पष्ट रूप से अभिलेख सहित प्रस्तुत करना होगा।
13. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिलाधिकारी, बलिया का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
14. निविदादाताओं को सामग्रियों की आपूर्ति के सम्बन्ध में पंजीकृत होना चाहिए।
15. प्रस्तुत दर में शुल्क एवं कर आदि का विवरण भी देना होगा।
16. निविदा दो भागों में डाली जायेगी (1) टेक्निकल बिड (2) फाईनेन्शियल बिड अलग–अलग डाली जायेगी । टेक्निकल बिड सही पाये जाने पर ही फाईनेन्शियल बिड खोला जायेगा ।

जिलाधिकारी,
बलिया